न्यायालय, सब जज–तृतीय, डुमरॉव, बक्सर।

टी0 एस0–263 / 2017

19.11.2023

उभय पक्ष की पैरवी है। प्रस्तुत वाद वादी के तरफ से शपथ पत्र के साथ दिए गए आवेदन दिनांक–15.03.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व दफा 151 सी0पी0सी0 वास्ते प्रतिस्थापन प्रतिवादी एवं धारा 5 लिमिटेशन एक्ट तथा उक्त आवेदन के आलोक में प्रतिवादी के प्रतिउत्तर दिनांक–26.04.2023 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के सुनवाई उपरांत आदेश हेतु नियत है।

आदेश

वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिववक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रस्तुत वाद में प्रविादी सं0–4 रमेश चंद्र ओझा की मृत्यु दिनांक–23.12.2021 को कोरोना काल में हो चुकी है। उनके कानूनी वारिसान का नाम आवेदन पत्र में दिया गया है। आवेदन विलंब से देने के संबंध में प्रतिवादी की मृत्यु कोरानाकाल में होने एवं कानून की जानकारी नहीं होना बतलाया गया है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी नंबर–4 का नाम कलमजद कर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वादी के द्वारा दिया गया आवेदन लगभग 17 माह से विलंब से दिया गया है। वादी ने अपने आवेदन में मृत्यु की तारीख गल बतलाया है। मृतक प्रतिवादी की पत्नी जीवित है जिसका नाम निरा देवी है जिसे मुदई ने पार्टी नहीं बनाया है साथ ही उनकी पुत्री का नाम प्रिया कुमारी है जो कि वादी ने अपने आवेदन में शिल्पी कुमारी दिया है। अतः विद्वान अधिवक्ता वादी के आवेदन को खर्चा के साथ खारिज करने की प्रार्थना करते है।

उभय पक्ष को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0 4 की मृत्यु कोरोनाकल में होने की बात कही गयी है। लेकिन वादी द्वारा उनकी मृत्यु संबंधित आवेदन दिनांक–15.03.2023 को दिया गया है जो कि कारोनाकाल समय बितने के काफी समय बाद की है। वादी के द्वारा विलंब माफी का आवेदन जो दिया गया है उसमें

न्यायालय कोई बल नहीं पाता है। जहां तक प्रतिवादी ने अपने आवेदन में जिक्र किया है कि मृतक का पत्नी का नाम का जिक्र नहीं होने एवं उनकी पुत्री का नाम गलत वादी द्वारा अपने आवेदन में देने के कारण आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना किया है तो इसमें भी न्यायालय कोई बल नहीं पाता है क्योंकि यदि वादी के द्वारा किसी का नाम गलत या छुट गया है तो उसे न्यायहित में जोड़ा जा सकता है। वाद का सही न्याय निर्णयन हेतू मृत पक्षकार का नाम विलोपित करना एवं उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में वादी के आवेदन को 500/–रू0 खर्चा के साथ जो प्रतिवादी पक्ष को देय होगा स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अंदर प्रतिवादी सं0–4 रमेश चंद्र ओझा का नाम वाद पत्र से कलमजद कर उनक विधिके वारिसानों का नाम निरा देवी, प्रिंस पल्लव ओझा, नितीन पल्लव ओझा, पूजा कुमारी, प्रिया कुमारी प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक–.....वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सब जज–तृतीय